



गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक २००७/(३२२/०७) विशी -४ महाराष्ट्र विपीठ अधिनियम १९९४ (१९९४ चा महा. ३५) च्या कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ रोजी स्थापित व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक (६) द्वारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

कुलसचिव कार्यालय

एम. आय. डी. सी. रोड, कॉम्पेक्स,
गडचिरोली ४४२६०५

फोन /फॅक्स नंबर ०७१३२ - २२३१०४

Email-gug.registrar@gmail.com

जा.क्र./गोवि/कुलका/ 391 /२०२६

दि. 20/०४/२०२६

परिपत्रक

विषय : विद्यापीठ अनुदान आयोग योजनेअंतर्गत SFMP पोर्टलद्वारे सर्व शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे SFMP पोर्टलवर आणि बँक खात्याला आधार नं. संलग्नित करणेबाबत तसेच दिव्यांगांचे ओळखपत्र UDID अद्ययावत करणेबाबत.


संदर्भ :- १) No-F.१-१/२०२६९SA-I)/C.No.१७४६४८ दि. ०१ एप्रिल, २०२६ चा प्राप्त पत्र
२) NDFDC यांचे दि. १३ एप्रिल, २०२६ ला प्राप्त पत्र.

महोदय,

या परिपत्रकाद्वारे सर्व संलग्नित महाविद्यालय/ संशोधन केंद्र / संशोधक विद्यार्थी यांना कळविण्यात येते की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना SFMP पोर्टलवर आणि बँक खात्याला आधार नं. संलग्नित करणे तसेच दिव्यांगांचे ओळखपत्र UDID अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा SFMP पोर्टलद्वारे लाभार्थी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबविल्या जाईल. संबंधितांनी आपल्या स्तरावर कार्यवाही घ्यावी.

सहपत्र:- संदर्भीय पत्र सोबत संलग्नित

मा. प्र-कुलगुरु महोदयांच्या मान्यतेने


(दिनेश सराटे)

सहायक कुलसचिव

महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास विभाग
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली


प्रति,

मा. प्राचार्य

सर्व संलग्नित महाविद्यालये,
मान्यताप्राप्त सर्व संशोधन केंद्र,
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

प्रतिलिपी:- १) मा. कुलगुरु महोदयांचे स्वयं सहाय्यक, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
२) मा. प्र-कुलगुरु महोदयांचे कार्यालय, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
३) मा. कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली यांना माहितीस्तव सादर

टिप : सदर परिपत्रक महाविद्यालय / संशोधन केंद्रांनी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, ही विनंती.



ज्ञान-विकास विस्तारये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

No.F.1-1/2026(SA-I)/C.No.174648

01 APR 2026
11 चैत्र, 1948 /01st April, 2026

सार्वजनिक सूचना

Subject: Universalization of the Aadhaar-Based Payment (ABP) system

It has been decided to universalize the Aadhaar-Based Payment (ABP) system for Direct Benefit Transfer (DBT) of fellowships and scholarships.

Accordingly, the disbursement of fellowships/scholarships under UGC schemes on the Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) shall be made through Aadhaar-seeded bank accounts only using the ABP system.

All beneficiaries are required to seed their Aadhaar in their bank account to receive scholarship/fellowship. Thereafter, Aadhaar details are to be seeded on SFMP.

All Nodal Officers and the beneficiaries availing fellowship/scholarship under UGC schemes on SFMP are requested to take urgent and proactive steps to complete the process on SFMP by **15.04.2026**, if it has not already been done.

Nodal Officers are requested to verify and approve the Aadhaar seeding on SFMP by **20.04.2026** to ensure timely disbursement of fellowships exclusively to Aadhaar seeded bank accounts in financial year i.e., 2026-27. Aadhaar updation manual is available on SFMP providing step by step guide.

Any query in this regard, may be sent to netjrf-ugc@nic.in.

(मनिष जोशी)

सचिव



सूचना

विषय: NFPwD के अंतर्गत SFMP पोर्टल पर आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) का कार्यान्वयन तथा आधार एवं UDID का अनिवार्य अद्यतन।

संदर्भ: DEPwD पत्र संख्या B-17011/2/2025-SCH (e-Computer No. 50297) दिनांक 07.04.2026

सभी लाभार्थियों, विश्वविद्यालयों एवं नोडल अधिकारियों (विश्वविद्यालय) को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन फेलोशिप योजना (NFPwD) के अंतर्गत फेलोशिप राशि 01.04.2026 के पश्चात केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) के माध्यम से, लाभार्थियों के आधार-सीडेड बैंक खातों में स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (SFMP) के माध्यम से ही जारी की जाएगी।


यह निर्णय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.04.2026 (जिसमें UGC पत्र संख्या F.1-1/2026(SA-I) C.No.174648 दिनांक 01.04.2026 का संदर्भ दिया गया है) के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।

तदनुसार, सभी लाभार्थियों को फेलोशिप राशि के सुचारु प्रसंस्करण हेतु निम्नलिखित कार्य तत्काल पूर्ण करना आवश्यक है:

- यह सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से सीडेड (आधार से लिंक) हो।
- SFMP पोर्टल पर आधार एवं UDID को दिनांक: 15.04.2026 तक अद्यतन करें।
- नोडल अधिकारियों (विश्वविद्यालय) द्वारा सत्यापन: 20.04.2026 तक।

यदि 20.04.2026 के पश्चात निर्धारित समय-सीमा के भीतर आधार एवं UDID अद्यतन नहीं किया जाता है, तो SFMP पर भुगतान जनरेशन रुक जाएगी तथा फेलोशिप राशि जारी नहीं की जाएगी।

इस सूचना को अत्यंत आवश्यक माना जाए।


09/4/26
नोडल अधिकारी, NFPwD
NDFDC



NOTICE

Subject: Implementation of Aadhaar Based Payment System (ABP) on the SFMP Portal and mandatory updation of Aadhaar and UDID under NFPwD.

Reference: DEPwD letter No. B-17011/2/2025-SCH (e-Computer No. 50297) dated 07.04.2026

All beneficiaries, Universities, and Nodal Officers (Universities) are hereby informed that under the National Fellowship for Persons with Disabilities (NFPwD), **fellowship amount shall be released only through the Aadhaar Based Payment System (ABP) to Aadhaar-seeded bank accounts of the scholar (beneficiaries)** through the Scholarship and Fellowship Management Portal (SFMP) after 01.04.2026.


This decision is taken in accordance with the directions issued by the DEPwD MSJ&E, GoI vide letter dated 07.04.2026 having reference of UGC letter No. F.1-1/2026(SA-I) C.No.174648 dated 01.04.2026.

Accordingly, all beneficiaries are required to complete the following actions immediately for smooth processing of fellowship amount:

- Ensure that their bank account is Aadhaar seeded (linked with Aadhaar)
- Update Aadhaar and UDID on the SFMP Portal till : 15.04.2026.
- Verification by Nodal Officers (University): 20.04.2026

After 20.04.2026 if Aadhaar and UDID are not updated within the stipulated timeline, payment generation on SFMP will be stopped and fellowship amount will not be released.

This notice may be treated most urgent.


09/04/26
Nodal Officer, NFPwD
NDFDC

फाइल संख्या: B-17011/2/2025-SCH (ई-कंप्यूटर सं.: 50297)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5 वां तल, बी विंग, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 07.04.2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD),

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC),

ओखला फेज - I, तेहखंड गांव के पास, नई दिल्ली - 110020

विषय: NFPwD के तहत SFMP पोर्टल पर आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) का कार्यान्वयन और आधार एवं UDID की अनिवार्य प्रस्तुति के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (SFMP) के माध्यम से 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप' (NFPwD) योजना के तहत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABP) के कार्यान्वयन और आधार एवं UDID को अनिवार्य रूप से जमा करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के प्रावधानों के अनुसार, NFPwD सहित सभी घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए UDID के साथ आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

2. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सार्वजनिक सूचना संख्या F.1-1/2026(SA-I)/C.No.174648 दिनांक 01.04.2026 (संलग्न) के माध्यम से फेलोशिप के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए आधार-आधारित भुगतान (ABP) प्रणाली के सार्वभौमिकरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसी के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि SFMP के माध्यम से NFPwD के तहत संवितरण (Disbursement) विशेष रूप से ABP प्रणाली का उपयोग करके आधार-सीडेड बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, SFMP पर आधार और UDID को जमा करना और उनका सत्यापन करना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है।

3. इस संबंध में, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) से अनुरोध है कि वह केनरा बैंक और SFMP टीम के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

Internal


- सभी लाभार्थी बैंक खातों को आधार से जोड़ना (Aadhaar seeding)।
- SFMP पर आधार और UDID का अनिवार्य अपडेशन और सत्यापन।
- सभी फेलोशिप संवितरण के लिए ABP का कार्यान्वयन।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन लाभार्थियों ने आधार और UDID अपडेट नहीं किया है, उनके लिए SFMP पर भुगतान जनरेशन (Payment generation) को अक्षम (Disable) कर दिया जाए और अनुपालन न करने की स्थिति में फेलोशिप भुगतान जारी न किया जाए।

5. उपरोक्त के आलोक में, NDFDC कृपया एक सार्वजनिक सूचना जारी करे ताकि सभी लाभार्थियों और नोडल अधिकारियों को 15.04.2026 तक SFMP पर आधार सीडिंग और UDID अपडेशन पूरा करने और नोडल अधिकारियों द्वारा 20.04.2026 तक सत्यापन पूरा करने की सलाह दी जा सके, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान समय पर संवितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, केनरा बैंक से अनुरोध किया जाए कि वह सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए SFMP पर एक विस्तृत आधार अपडेशन मैनुअल/SOP अपलोड करे।

6. इसे अत्यंत महत्वपूर्ण (Urgent) समझा जाए। यह अतिरिक्त सचिव (छात्रवृत्ति) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,



(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी: sandeepkumar.rth@nic.in

संलग्नक: यथोपरि।

सूचना हेतु प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त सचिव (MKN) के प्रधान निजी सचिव।
2. निदेशक (PA) (छात्रवृत्ति) के निजी सचिव।
3. मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक।